



महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान

(मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार)

वेदविद्या मार्ग, चिंतामण गणेश, पोस्ट जवासिया, उज्जैन-456006 (म.प्र.)

Maharshi Sandipani Rashtriya Vedavidya Pratishthan

(Ministry of HRD, Govt. of India)

Vedavidya Marg, Chintaman Ganesh, P.O. Jawasiya, UJJAIN- 456006 (M.P.)

पत्र सं. 27-1/2019(शै.)/मसारावेविप्र/

दिनांक 18-09-2019

संशोधित अधिसूचना - 807

विषय :- प्रतिस्थापित गुरु-शिष्य परम्परा इकाई प्रारम्भ करने के सम्बन्ध में।

यह अधिसूचित किया जाता है कि महर्षि सान्दीपनि राष्ट्रीय वेदविद्या प्रतिष्ठान की देश के विभिन्न राज्यों एवं वेद शाखाओं में पिछले वर्षों में 23 अनुदानित गुरुशिष्य परम्परा इकाइयों के स्थान रिक्त हैं इन इकाइयों को (गुजरात, उत्तराखण्ड, जम्मू, श्रीनगर काश्मीर, केरल, दिल्ली, छत्तीसगढ़, मणिपुर एवं सिक्किम आदि राज्यों में जहां प्रतिष्ठान की अधिक इकाई नहीं) बरीयता क्रम में आवश्यकता को ध्यान में रखकर प्रतिस्थापित करने की योजना है। चारों वेदों की किसी एक शाखा में पूर्ण रूपेण स्वर, स्मृति, उच्चारण में निपुण वेद स्वाध्यायी अध्यापक जो अपने घर पर या किसी भी उपयुक्त स्थान पर अधिकतम 10 छात्रों को वेदाध्ययन कराने की उत्तम व्यवस्था प्रदान कर गुरुशिष्य परम्परा इकाई संचालित करने में सक्षम हो, उनका सम्परीक्षण किया जायेगा।

गुरुशिष्य परम्परा योजना में वेद अनुसार रिक्त स्थान

क्र.	वेद शाखा	रिक्त स्थान
1	ऋग्वेद शाकल शाखा	3
2	कृष्ण यजुर्वेद तैत्तिरीय शाखा	3
3	शुक्ल यजुर्वेद माध्यन्दिनी शाखा	12
4	शुक्ल यजुर्वेद काण्व शाखा	1
5	सामवेद कौथुम शाखा	1
6	सामवेद राणायणी शाखा	1
7	अथर्ववेद पैलाद शाखा	1
8	अथर्ववेद शौनक शाखा	1
	कुल योग	23

→ श्री जलजलका जी का रिक्त स्थान

नोट :- उपर्युक्त शाखाओं में योग्य अध्यापक न मिलने पर अन्य वेद शाखा के अध्यापक से प्रतिस्थापित स्थान की पूर्ति की जाएगी। प्रतिष्ठान के नियमानुसार अध्यापक को नियमित अध्यापन रखने हेतु शपथ-पत्र भी संलग्न करना अनिवार्य है।

अतः प्रतिस्थापित 23 इकाइयों को गुरुशिष्य परम्परा योजना के अन्तर्गत अनुदान सहित सम्बद्ध करने के लिए आवेदन आमंत्रित किए जाते हैं। आवेदन-पत्र प्रतिष्ठान की वेबसाइट www.msrvvp.ac.in पर Online उपलब्ध है, आवेदन-पत्र पूर्णरूप से भरकर online प्रेषित करें। साथ ही आवेदन-पत्र की प्रति समस्त दस्तावेजों के साथ दिनांक 30 सितम्बर, 2019 तक प्रतिष्ठान कार्यालय में भेजा जाए।

इस समस्त प्रक्रिया को निरस्त, परिवर्तित एवं वेद की मौखिक परम्परा के सर्वत्र प्रचार-प्रसार एवं विकास को ध्यान में रखकर संशोधित करने का अधिकार सुरक्षित है।

(प्रो. विरूपाक्ष वि. जड्डीपाल)

सचिव

प्रतिलिपि:- प्रतिष्ठान की वेबसाइट पर प्रकाशनार्थ।

दूरभाष (0734)2502266, 2502254, 2502255 फैक्स (0734-2502253)

E-mail : msrvvpunj@gmail.com, website : www.msrvvp.ac.in